(477)

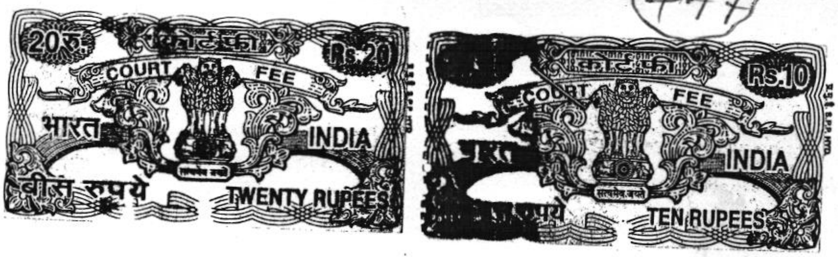

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरीक्षण

अ/निगरानी/विदिशा/भू-रा/2017/2095

गुट्टीलाल आयु 73 वर्ष पुत्र छक्कू लाल, जाति राय, निवासी वार्ड नं. 18 पचमा वाली गली, गंज बासौदा जिला विदिशा, व्यवसाय मजदूरी

..........निगरानीकर्ता

बनाम

1. मंदिर रामजानकी, मोरछली बाला पचमा रोड़, वार्ड नं. 18, बासौदा द्वारा हरलाल कोरी व्यवस्थापक
2. म.प्र. शासन
3. तहसीलदार महोदय तहसील बासौदा
4. हरलाल कोरी आयु **66** वर्ष पुत्र मिट्ठूलाल जाति कोरी निवासी **वार्ड** नं. 19 कोरीपुरा बासौदा जिला विदिशा म.प्र.

......रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू.रा.सं. 1959 आदेश दिनांक 31.05.2017 प्रकरण क्रमांक 10/अपील/2016–17 म.प्र. शासन विरूद्ध गुट्टीलाल में सिविल जेल भेजने के संबंध में न्यायालय तहसीलदार तहसील बासौदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2016 प्रकरण क्रमांक 63/68/16–17 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त अपील को निरस्त दिनांक 31.05.2017 को किया गया जिसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

श्रीमान् महोदय,

निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, नगर बासौदा वार्ड नं. 18 में एक कच्चा टपरा **रिस्पोंडेन्ट** क्रमांक 1 के स्वामित्व एवं आधीपत्य का स्थित है। कच्चा टपरा **के पूर्व** में पचमा गली, पश्चिम में निकास गली बाद मंदिर मोरछली, उत्तर **में** शंकर चौरसिया का मकान तथा दक्षिण में डॉ. समैया का मकान है।

2. यहकि, उक्त कच्चा टपरा 40 वर्ष पूर्व मंदिर **कमेटी** के प्रबंधक द्वारा निगरानीकर्ता के पिता को किराये से दिया था वर्ष **1976** से विधिवत मंदिर

XXIX(a)-BR(H)-11

(477)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/2095

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील भारद्वाज उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	